

१९९१/०५

78
T19



04DD 012240



वि. प्र. मोहन लाल



विक्रय विलेख



वि. प्र. राजू

विक्रय मूल्य : रु0 5,40,711/-
बाजारु मूल्य : रु0 3,16,800/-
स्टाम्प शुल्क : रु0 54,100/-
परगना : लखनऊ

यह विक्रय विलेख मोहन लाल एवं सोहन लाल पुत्रगण
नन्हू, ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला- लखनऊ जिन्हे
आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् राजू पुत्र रामधनी

दिनांक १९९१/०५



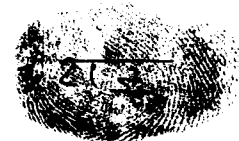


03CC 305894

- 2 -

निवासी-254 चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण भूमि सत्यापित षटवार्षिक खतौनी सन् 1409 से 1414 फसली के खाता सं० 249 के खसरा सं० 653, रकबा 0.288 हेक्टेअर, स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला, लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 249 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस



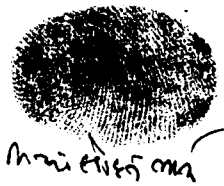
१२/१२/२००४



196635

- 3 -

विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व,





- 4 -

हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 5,40,711/- (पांच लाख चालीस हजार सात सौ ग्यारह रुपया मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अर्न्तगत दिया

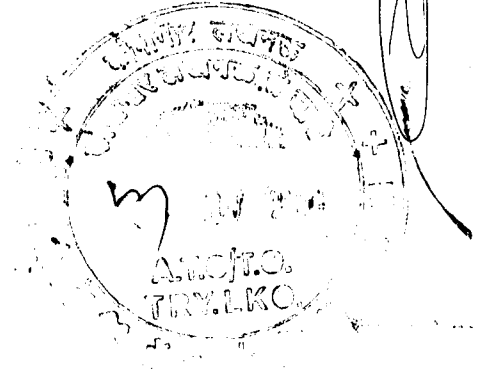




- 5 -

गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे

Three circular ink stamps are visible, followed by a handwritten signature in Devanagari script.



- 6 -

एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।



Mr. ...

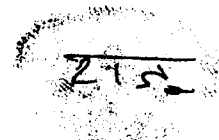
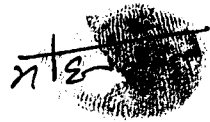




- 7 -

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ, अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रु0 11,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत





- 8 -

भूमि 0.288 हेक्टेअर की मालियत रु0 3,16,800/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 54,100/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर पर स्थित है। विक्रेतागण व क्रेता दोनो

मोह
मोह

मोह
मोह

21/12/2018

अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खाता सं० 249 के खसरा सं० 653, रकबा 0.288 हेक्टेअर, स्थित ग्राम अहमामऊ, परगना, तहसील व जिला, लखनऊ, जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा न० 653

पूरब	: चक रोड
पश्चिम	: खसरा संख्या-704
उत्तर	: खसरा संख्या-654
दक्षिण	: खसरा संख्या-652



21/2

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल रू0 5,40,711/- (पांच लाख चालीस हजार सात सौ ग्यारह रुपया मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता से नगद प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ

दिनांक: 02.12.2004

गवाह शिवचरण

1. शिवचरण पुष्प श्री लालू
मि ३॥५१ २०६३॥६३३ ५१२२ बिना

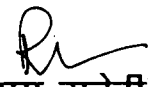
शिवकुमार सिंह ३३३३३३३३
2. का. श्री. अर्जुन शर्मा
लखनऊ

मि ३॥५१ २०६३॥६३३ ५१२२ बिना

विक्रेता
मि ३॥५१ २०६३॥६३३ ५१२२ बिना

क्रेता
मि ३॥५१ २०६३॥६३३ ५१२२ बिना

टाईपकर्ता


(राम सनेही)

मसविदाकर्ता


(उमा शंकर पाण्डेय)

नक्शा नपारी

ग्राम - अहममठ

वसत सं. - 653

कैला - 1 - राप्

विकेला - मोरु माल सोराम

N



रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन
हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

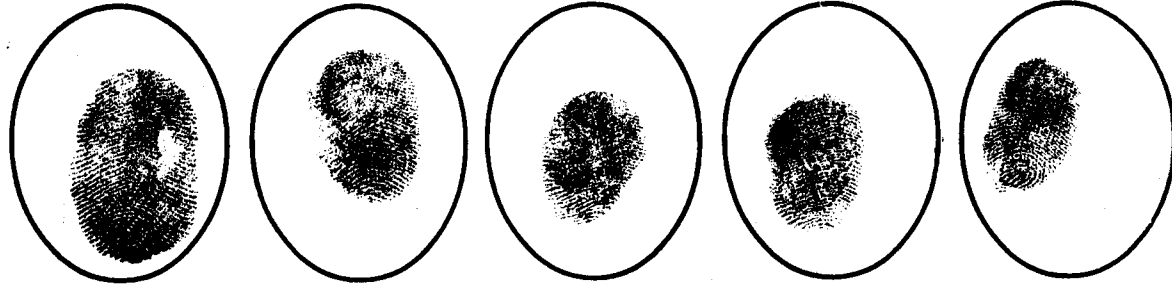
प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :- मोहन लाल पुत्र नन्दू

ग्राम :- अहममऊ परगना - तहसील - जिला - लखनऊ

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

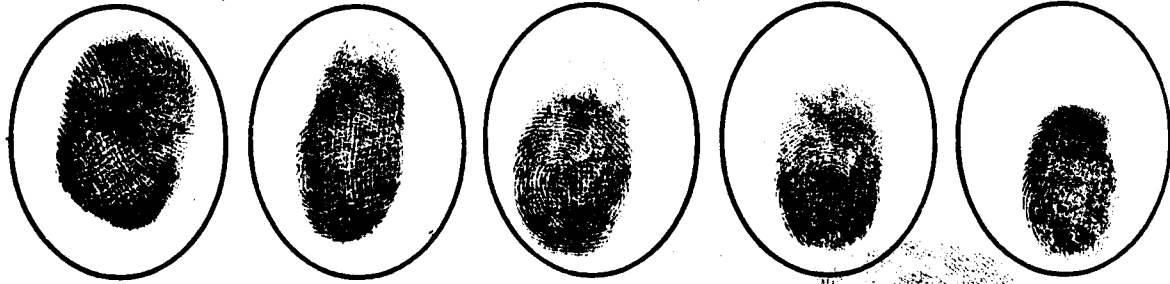
प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :- राजू पुत्र राम धनी

निवासी :- बडय नन्दलोक कालोनी अलीगज लखनऊ

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

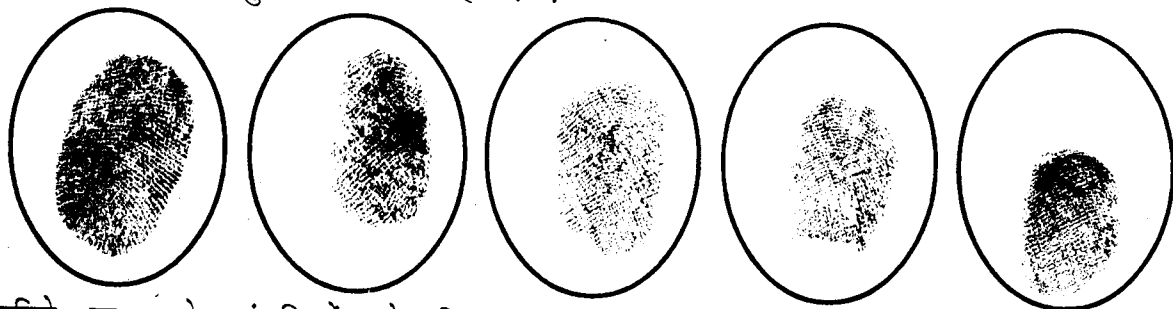


प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

मधु ५३

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32ए, के अनुपालन
हेतु फिंगर्स प्रिन्ट्स

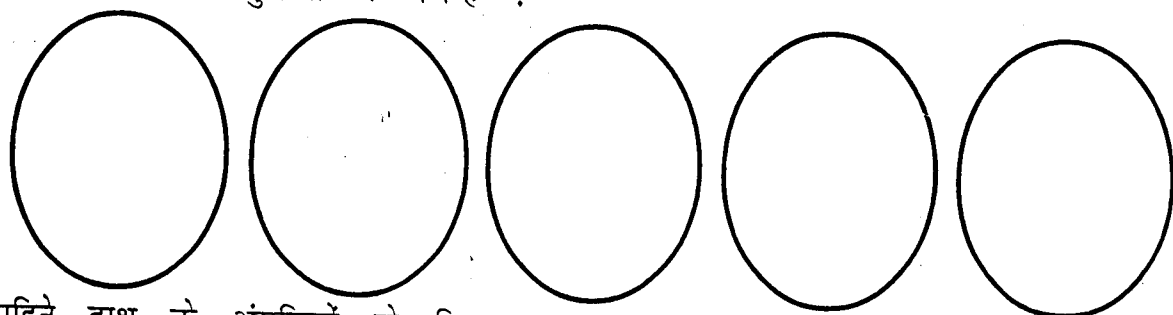
प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : शोहन बाल पुत्र न-६
ग्राम- अहममठ परगना- तहसील- बिला- कलम-६
बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



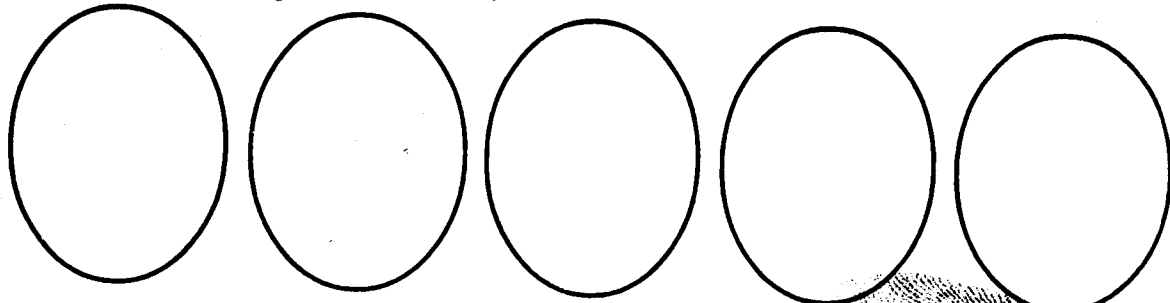
दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता : राजू पुत्र रामधनी
बिलाही- २५५ चन्द्रकीठ कालोनी डालीगंज कलम-६
बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :



विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

म. अ. (142)